कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा/माध्य/मा–स/निःकोचिंग/2018–19/ 17 दिनांकः 29.05.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– परामर्श केन्द्र (**counselling Center**) के रूप में स्टूडेन्ट एडवाइजरी एवं गाइडेन्स ब्यूरो (**Student Advisory and Guidance Bureau**)की स्थापना बाबत।

प्रसंग :– शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक : प.17(2)शिक्षा–1/2019 दिनांकः 28.05.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रानुसार विद्यालय शिक्षा के पश्चात् देश–विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों में उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन के लिए परामर्श केन्द्र(**counselling Center**) के रूप में स्टूडेन्ट एडवाइजरी एवं गाइडेन्स ब्यूरो (**Student Advisory and Guidance Bureau**)की स्थापना राज्य स्तर पर शिक्षा संकुल परिसर में की जावेगी।

परामर्श केन्द्र के उद्देश्य एवं कार्य निम्नानुसार होंगे :–

1. माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों को आगामी पाठ्यक्रमों एवं व्यवसाय/भर्तियों के सम्बन्ध में निरन्तर समग्र जानकारी उपलब्ध कराना।
2. राज्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आगामी शिक्षा एवं भर्तियों हेतु समस्त प्रकार की सूचना एवं सामग्री का संकलन करना।
3. विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को केरियर के चयन में आवश्यक सलाह एवं मार्गदर्शन प्रदान करना।
4. विद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों के आई.क्यू. लेवल व बौद्धिक स्तर एवं अभिरूचि का वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण कर उचित सलाह देना।
5. सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा विद्यार्थियों के आगामी शिक्षण एवं कैरियर निर्माण व भर्ती संबंधी परीक्षाओं की तैयारी हेतु उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न शैक्षिक एवं आर्थिक सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध कराना।
6. व्यावसायिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित विभिन्न ट्रेड्स के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना।

विद्यार्थियों को निम्नानुसार सूचना एवं सामग्री संकलन कर उपलब्ध कराई जायेगी :–

1. परामर्श केन्द्र से केरियर गाइडेन्स संबंधी समस्त प्रकार की सामग्री प्राप्त की जा सकेगी।
2. कैरियर गाइडेन्स एवं काउंसलिंग से संबंधित समस्त प्रकार की सूचना एवं जानकारी तथा आवश्यक सामग्री का संकलन राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जावेगा।
3. उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री का चयन एवं निर्धारण आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा किया जावेगा।
4. समस्त सूचनाएं अद्यतन होगी जो सोफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी दोनों में उपलब्ध कराई जायेगी।

Scanned by CamScanner

परामर्श केन्द्र का प्रभारी राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा इनके सहयोग के लिए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर के उप निदेशक/सहायक निदेशक आदि को मनोनित किया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार स्थानीय विशेषज्ञों की सेवाएं भी ली जा सकेगी।

मार्गदर्शन चाहने वाले विद्यार्थियों को प्रत्येक सोमवार को प्रातः 10:00 बजे से 01:00 बजे तक मार्गदर्शन प्रदान किया जावेगा। विद्यार्थियों को दूरभाष/ई–मेल पर भी मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा, इसके लिए प्रभारी द्वारा विद्यालयों को दूरभाष/ई–मेल की जानकारी दी जावेगी साथ ही इस संबंध में आप द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार भी सुनिश्चित किया जावे।

(मुकेश कुमार शर्मा)
उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
3. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में प्रभावी प्रबोधन एवं समुचित पर्यवेक्षण हेतु।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner